**भारत सरकार**

**खान मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1024**

**3 दिसम्‍बर, 2012 को उत्‍तर के लिए**

**खनन क्षेत्र हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति**

**1024. श्री हुसैन दलवई :**

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खनन क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ. डी. आई.) की नीति क्या है;

(ख) मार्च, 2012 के अन्त तक खनन क्षेत्र में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था; और

(ग) इससे खनन क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण में कितनी सहायता मिली है?

**उत्‍तर**

**खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल)**

(क): औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2012 के समेकित प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश नीति परिपत्र 1 दिनांक 10 अप्रैल, 2012 के अनुसार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अध्‍यधीन धातु एवं अधातु अयस्‍कों तथा हीरा, सोना, चांदी और मूल्‍यवान अयस्‍कों के खनन और गवेषण के संबंध में स्‍वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है । टाइटेनियम अयस्‍कों के लिए प्रतिबंध निर्धारित है । आणविक ऊर्जा विभाग द्वारा यथा अधिसूचित निर्धारित पदार्थों में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है ।

(ख): औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा रखे गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार खनन क्षेत्रों में अप्रैल, 2000 से मार्च, 2012 तक विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) 4054.63 करोड़ रूपए (940.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है ।

(ग): एफ.डी.आई. के अंत: प्रवाह से (i) खनन प्रौद्योगिकी (ii) खनन में स्‍वचालन और (iii) उत्‍पादकता में वृद्धि का समावेश होता है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*